संख्या-328 /2018/2433 /पांच-6-18-127(नि0)12

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 11 अक्टूबर, 2018

विषय:-लोक निर्माण विभाग की दिनांक 01.01.2018 से प्रभावी कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नये प्रस्तावित सामु0स्वा0केन्द्रों एवं प्राथ0स्वा0केन्द्रों के भवनों के निर्माण की मानक लागत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता के पत्र संख्या-5651/17फ/नि0नि0अ0/ 2018-19 दिनांक 10.08.2018 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ई0-8-1266(1)/दस-13-10-89/2004, दिनांक 10.09.2013 व शासनादेश संख्या-बी.-2-2528/दस-14-10/77, दिनांक 26.08.2014 तथा विभाग के शासनादेश संख्या-883/पॉच-6-13-127(नि0)/13, दिनांक 10.07.2013 व शासनादेश संख्या-1364/पॉच-6-15-127(नि0)/12, दिनांक 14.08.2015 व शासनादेश संख्या-28/2016/2822/ पॉच-6-2016-127(नि0)/12, दिनांक 27.01.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 10.09.2013 व 26.08.2014 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित लागत के आधार पर दिनांक 01.01.2018 से लोक निर्माण विभाग की प्रभावी कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नये प्रस्तावित प्राथ0स्वा0केन्द्रों एवं सामु0स्वा0केन्द्रों के भवनों के निर्माण की मानक लागत को निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार निर्धारित की जाती है:-

क- दिनांक 01.01.18 से प्रभावी दरों के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों भवनों की मानक लागत

(धनराशि रूपया लाख में)

क्र0 सं0	मिट्टी का प्रकार	मानकीकृत लागत	
		जोन-2 व 3 हेतु	जोन-4 हेतु
1	सामान्य मिट्टी वाले क्षेत्र	135.86	138.31
2	काली कपासी मिट्टी वाले क्षेत्र	142.83	145.29
3	लवणयुक्त मिट्टी वाले क्षेत्र	146.35	148.77

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

ख- दिनांक 01.01.18 से प्रभावी दरों के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों भवनों की मानक लागत

(धनराशि रूपया लाख में)

क्र0 सं0	मिट्टी का प्रकार	मानकीकृत लागत	
		जोन-2 व 3 हेतु	जोन-4 हेतु
1	सामान्य मिट्टी वाले क्षेत्र	501.31	512.32
2	काली कपासी मिट्टी वाले क्षेत्र	517.30	528.31
3	लवणयुक्त मिट्टी वाले क्षेत्र	525.30	536.31

2- उक्त मानकीकृत लागत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन होगी -

1. उक्त मानकीकृत लागत नये प्रस्तावित प्राथ0/सामु0स्वा0केन्द्र जिनका निर्माण कार्य प्रारम्भ नही हुआ है, उन्हीं पर लागू होगी पुराने कार्यों पर नही।
2. सामु0स्वा0केन्द्र एवं प्राथ0स्वा0केन्द्र भवनों के कुर्सी क्षेत्रफल का निर्धारण चिकित्सा विभाग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा किया गया है ।
3. लागत का निर्धारण लोक निर्माण विभाग के दिनांक 01.01.18 से प्रभावी कुर्सी क्षेत्रफल दरों एवं विशिष्टियों के आधार पर किया गया है।
4. लागत का आकंलन भूखण्ड की सामान्य स्थिति के आधार पर किया गया है। अत: अनावासीय भवनों हेतु प्रस्तावित कुर्सी तल की अतिरिक्त ऊँचाई को अनुमन्य नहीं किया गया है।
5. परिसर में बाउन्ड्रीवाल की लम्बाई, मार्गो, नालियों, स्ट्रीट लाईट आदि विकास कार्य स्थलीय स्थिति पर आधारित होगा, जिसकी लागत का निर्धारण वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा।
6. सन्दर्भित प्रस्तावों के निर्माण हेतु नि:शुल्क भूमि विभाग/स्थानीय प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, इसलिये इन प्रस्तावों में भूमि की लागत सम्मिलित नही है।
7. उक्त मानकीकृत लागत में जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित नहीं की गयी है। प्रायोजना में जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी तदनुसार संशोधित प्रायोजना प्रस्ताव को पुन: पी0एफ0ए0डी0 से परीक्षण कराये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
8. पूर्व अनुमोदित मानकीकृत लागत में स्वीकृत मानचित्र एवं मात्राओं में कोई परिवर्तन नहीं हुए है। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ई.-8-1266(1)/दस-13-10-89/2004, दिनांक 10.09.13 के बिन्दु संख्या-3 के अनुसार यदि मानकीकृत भवनों के मानचित्र एवं मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मात्र शिडयूल आफ रेटस बदलने के कारण मूल स्वीकृत लागत में वृद्धि होती है तो ऐसे आगणनों का परीक्षण पी0एफ0ए0डी0 से कराकर नियमानुसार वित्तीय स्वीकृति हेतु अग्रतर कार्यवाही की जायेगी। ऐसे प्रकरणों में पुन: व्यय वित्त समिति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी ।
9. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ई0-8-1266(1)/दस-13-10-89/2004, दिनांक 10.09.2013 व शासनादेश संख्या-बी.-2-2528/दस-14-10/77, दिनांक 26.08.2014

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

तथा विभाग के शासनादेश संख्या-883/पॉच-6-13-127(नि0)/13, दिनांक 10.07.2013 व शासनादेश संख्या-1364/पॉच-6-15-127(नि0)/12, दिनांक 14.08.2015 व शासनादेश संख्या-28/2016/2822/पॉच-6-2016-127(नि0)/12, दिनांक 27.01.2016 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,
नर्वेद सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-**328 /2018/2433 (1)/**पॉच**-6-18,** तद् दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, नियोजन विभाग, उ**0**प्र**0** शासन।

(2) निदेशक (नियोजन एवं बजट), लखनऊ।

(3) निदेशक (पी.एच.सी./सी.एच.सी.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ**0**प्र**0**, लखनऊ ।

(4) अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ**0**प्र**0**, लखनऊ।

(5) प्रबन्ध निदेशक/निदेशक, उ**0**प्र**0** राजकीय निर्माण निगम/उ**0**प्र**0** आवास एवं विकास परिषद/सी**0** एण्ड डी**0**एस**0** उ**0**प्र**0** जल निगम/उ**0**प्र**0** प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड/उ**0**प्र**0** विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड/यू.पी.स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन सी0एल0डी0एफ0(यू0पी0सिडको) / उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (सी0एल0डी0एफ0)।

आज्ञा से,
हरनाम
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।